कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 50 / 2023

श्रीमती लीलावती पिता रामसिंह पत्नी बनवारीलाल जाति जाट निवासी नौगाया तहसील व जिला भरतपुर

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर

...रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 11.9.2023**

अपीलार्थीया श्रीमती लीलावती पिता रामसिंह पत्नी बनवारीलाल जाति जाट निवासी नौगाया तहसील व जिला भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर के खिलाफ इस आश्य की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थीया ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 20–06–2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर से सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नही कराई गई है। वांछित सूचना दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 620 दिनांक 29.08.2023 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र एलआर / 23 / 5967 दिनांक 4.9.2023 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का अपील में कथन है कि उसके द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई है। तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त जबाब दिनांक 04.09.2023 का अवलोकन किया गया, जबाब में अंकित किया है कि अपीलार्थी / प्रार्थी को जरिये पत्र क्रमांक / एलआर / 2023 / 4985 दिनांक 14–7–2023 के द्वारा सूचना के बाबत अवगत कराया दिया गया है। तहसीलदार भरतपुर ने प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु सं.3 का उल्लेख करते हुये कि प्रार्थी को सूचित किया गया है:– कि ''......सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्यों का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है.....।''

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 20.6.2023 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें प्रार्थी ने तहसीलदार भरतपुर से निम्न सूचना चाही गई है :–

> जमाबन्दी सम्वत 2064से 2067 में खता नं. 347,344,345,348,349 में न्यायालय श्रीमान एस.डी.एम.साहब भरतपुर के स्थगन आदेश का नोट कंमाक 4 जमाबन्दी में दिनांक 25.8.2011 को लगाया गया था परन्तु अगली जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 खाता संख्या 367,368,369,370,371,372,373, एवं जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 के खाता संख्या 393,395,396,397,398,399,400 पर से स्थगन आदेश का नोट हटा दिया गया है। स्थगन आदेश का नोट किस न्यायालय के आदेश से हटाया गया है । उस न्यायालय का नाम मुकदमा नम्बर और आदेश दिनांक एवं उनवान से अवगत करावें।

प्रार्थी के सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना अवलोकन से स्पष्ट है जिस प्रकार सूचना चाही गई है, वह प्रश्नात्मक /सृजितनात्मक है। अतः लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भरतपुर के जबाब से हम सहमत हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है आदेश की प्रति प्रार्थीया को (लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, भरतपुर से प्राप्त पत्र की फोटो प्रति सलंग्न) कर प्रेषित की जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, भरतपुर को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,
भरतपुर